गोरखनाथ (भा०प्र०से०)
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

बिहार सरकार

आयुक्त कार्यालय,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया
फोन नं0- 06454-243199 (O)
241899 (F)
ईमेल आई0डी0-divcom-purnea-bih@nic.ir

पत्रांकः...../

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियॉ / कटिहार / अररिया / किशनगंज।

पूर्णियॉ, दिनांकः–.....

विषय :– **जिला अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थानों (मेडिकल महाविद्यालय, सदर अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों आदि) की कार्य–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि पूणियाँ एवं सहरसा प्रमण्डल के सभी जिलों के सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालयों तथा जिला स्वास्थ्य समिति में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन एवं अस्पतालों की व्यवस्था के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि विभिन्न अस्पतालों की मूल समस्या यह है कि वहाँ सरकारी डॉक्टर एवं अन्य कर्मी सरकार के निर्धारित समय के अनुरूप उपस्थित होकर अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार के निर्देश के आलोक में कुछ जिलों में केवल जिला अस्पताल में इन कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बॉयोमैट्रिक मशीन अधिष्ठापित किये गये हैं। कुछ जिलों में यह भी पाया गया है कि सरकारी डॉक्टर बॉयोमैट्रिक मशीन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। कुछ जिलों में जिला अस्पताल के अधीनस्थ अस्पतालों में बॉयोमैट्रिक मशीन अभी तक अधिष्ठापित नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा है तथा सरकारी अस्पतालों में सरकारी चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। कई सरकारी चिकित्सक काफी लंबे अरसे से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, पर उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार को कार्रवाई हेतु नहीं भेजा गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा इन अस्पतालों के संचालन हेतु वर्षवार आवंटन भेजा जा रहा है, पर उक्त आवंटन का नियमानुसार उपयोग संबंधित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्राप्त राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति में किया जा रहा है। कुछ कार्यालयों में यह भी पाया गया कि कार्यालयों की सामग्रिओं का क्रय जैम (GEM) के माध्यम से नहीं कर आपूर्तिकर्त्ता के माध्यम से कार्यालय की सामग्री क्रय की जा रही है। इसमें यह भी पाया गया कि कई समाग्रिओं का दर खुले बाजार की दर से काफी अधिक है, जिसके कारण सरकारी राशि का अपव्यय एवं दुरूपयोग भी हो रहा है। विभिन्न अस्पलाओं में सफाई, सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था हेतु जेनरेटर, बेड सीट धुलाई मरीजों का आहार आदि के लिए निविदा के माध्यम से अनेक संवेदकों का चयन किया गया है, पर निविदा एवं एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप इन संवेदकों से कार्य नहीं लिया जा रहा है। कहीं–कहीं यह भी पाया गया है कि एक ही संवेदक लगभग 6–7 (छः–सात) वर्षों से कार्यरत है जो निविदा के शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए काफी बड़ी राशि हर जिले में संवेदकों को भुगतान के लिए भेजी जा रही है, परन्तु सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है । राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

3. अतः जिले स्थित अस्पतालों में चिकित्सकों/कर्मियों की उपस्थिति, दवाओं की आपूर्ति एवं अन्य सेवाओं के समुचित संचालन तथा लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निम्नवत् निदेश दिये जाते हैः–

(i) चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक पक्ष के अंतर्गत बॉयोमैट्रिक मशीन अधिष्ठापित किया जाय। बॉयोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति के आधार पर वेतन निकासी का आदेश जिला कोषागार को दिया जाय।

(ii) सभी अस्पतालों में कार्यरत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप कार्यालय के सामाग्रिओं का क्रय (GEM) के माध्यम से किया जाय। यदि इसका अनुपालन एक माह के अंदर नहीं किया जाता है तो संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(iii) जो चिकित्सक/कर्मी लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है, उनके विरुद्ध आरोप–पत्र गठित कर समुचित कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को प्रेषित किया जाय। यदि संबंधित सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एक पक्ष के अंतर्गत यह कार्रवाई संपादित नहीं की जाती है तो संबंधित सिविल सर्जन के विरुद्ध संबंधित जिला पदाधिकारी आरोप–पत्र गठित कर सक्षम प्राधिकार को कार्रवाई हेतु भेजेंगे।

(iv) जिन बाह्य एजेंसियों की सेवाएँ निविदा के माध्यम से ली जाती है, उनसे निविदा/एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप अक्षरशः कार्य लिया जाय। इसमें यदि किसी भी पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है या इसमें संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय।

(v) सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल तथा प्रखंड अस्पताल के पूर्ण कार्य प्रणाली की जाँच समय–समय पर क्रमशः जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी तथा प्रखंड पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत करेंगे तथा इसमें समुचित सुधार लाने का प्रयास भी करेंगे।

(vi) वर्त्तमान में डेंगू जैसी महामारी के फैलने के कारण जिला स्थित सभी अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त बनाया जाय तथा डेंगू से प्रभावित व्यक्तिओं को समुचित ईलाज की व्यवस्था कराई जाय।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त दिये गये निदेशों का अनुपालन संबंधित पदाधिकारी के माध्यम से द्रढ़तापूर्वक कराई जाय एवं कृत कार्रवाई अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
आयुक्त,
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ।

ज्ञापांक 247 /सी0 पूर्णियॉ, दिनांक 16-10-2022

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियॉ/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/22
आयुक्त
पूर्णियॉ प्रमंडल, पूर्णियॉ।